XXIII-D—3
Settlt.

अदालत श्री जे० पी० सिंह विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)

(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र

नोटिस प्रपत्र "बी"

द्वारा ए० सी० बी० (इण्डिया) लिमिटेड बनाम

श्री शुभराम जाट आत्मज दीपचंद्र जाट निवासी ग्राम दीपका

पट. ह. नं. 31 तहसील कटघोरा जिला कोरबा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 31/अ-2/2013-14 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी रायपुर छ०ग० शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय एफ 4-35/सात-1/2014 के आदेश दिनांक 11-4-2014 के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमां) निर्धारण किया गया है :—

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लाट नम्बर (ख० नं०)	(रकबा)	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल		अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमां)
ग्राम कसईपाली	195/1क	0.243	220/1	0.579	पुनर्निर्धारण - 59017=00
प०ह०नं० 5	283/1	0.648	263/45	0.809	पर्यावरण उपकर - 2951=00
तहसील	244/1	0.129	263/24	0.405	कटघोरा से० वि० उपकर - 2951=00
कटघोरा	244/2	0.129	263/38	0.405	प्रीमियम - 761785=00
	281/2	0.101	195/1च	0.809	पंचायत उपकार 29509=00
	286/1ज	0.906	263/6	0.526	856213=00
	262/2	0.117	265/10	0.089	भू० रा० कार्यी - 4=00
	263/2	0.308	263/58	0.809	देय दिनांक 1-10-13
	217/1	0.053	263/59	0.809	
	220/2	0.101	263/60	0.809	
	219	0.186	265/26	0.809	
	276/13	0.198	32 किता	14.820 हे० / 37.60 ए०	
	280/2	0.081	व०फु०	1639360	
	263/14	0.599	व०मी०	152357	
	263/42	0.809	(औद्योगिक)		
	263/32	0.405			
	263/36	0.809			
	186/1ख	0.283			
	220/3	0.647			
	263/34	0.405			
	263/39	0.809			

(मुहर: न्यायालय अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला कोरबा छत्तीसगढ़)

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 761785=00 रुपया और जुर्माना .... ० .... रुपया किया जाता है जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक 31 दिसम्बर के भीतर या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

अधीक्षक
विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
कोरबा जिला: कोरबा (छ.ग.)

GRPRJ—FS/218—4/2002—20,000.

न्यायालय अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि

XXIII–D—3
Settlt.

कोरबा, जिला – कोरबा (छ.ग.)

अदालत श्री डॉ० एस.के. ठाकुर विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र

नोटिस प्रपत्र "बी"

आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्रा० लि० बनाम

द्वारा – श्री विष्णुप्रसाद कुर्मी आत्मज घासराम कुर्मी निवासी ग्राम दीपका

पट. ह. नं. 21 तहसील कटघोरा जिला कोरबा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 125/अ-2/05-06 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के आदेश दिनांक 24-4-06 के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :—

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लाट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम : कसईपाली प० ह० नं० 31 तहसील - कटघोरा जिला - कोरबा	195/15 268 247/2 276/16 263/33 263/50	0.567 0.624 0.263 0.308 0.405 0.809	व्यवसायिक प्रयोजन हेतु पुनर्निर्धारण 11537.00 रुपये पंचायत उपकर 5768.00 रुपये वर्ष 1-10-05 से निर्धारित किया गया। तथा कृषि भू-राजस्व 8.35 रुपये निरस्त किया गया।
योग	6	2.976 हे० 7.35 एकड़	

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) . 44675.00 रुपया और जुर्माना . . . . X . . . . रुपया किया जाता है जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक . . . 15 दिवस . . . या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें.

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
अधीक्षक,
भू-अभिलेख परि० भूमि
कोरबा, जिला – कोरबा (छ.ग.)

GRPRJ—FS/218—4/2002—20,000.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा (छत्तीसगढ़)

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 82 / अ–2/2005–2006

ग्राम –कसईपाली, प.ह.नं.31 तहसील कटघोरा

छत्तीसगढ़ शासन ....आवेदक

बनाम

1. सावनलाल पिता सुरितराम, जाति कुर्मी, – विक्रेता
   निवासी ग्राम –कसईपाली, तहसील कटघोरा जिला–कोरबा (छ.ग.)
2. आर्यन कोल बेनिफिकेशन द्वारा विष्णु प्रसाद कुर्मी – क्रेता .... अनावेदक

// आदेश //

(पारित दिनांक.03.04.2006)

यह प्रकरण श्री तनवीर अहमद, जिलाध्यक्ष युवक कांग्रेस (ग्रामीण) कोरबा द्वारा ग्राम कसईपाली प0ह0नं0 31 तहसील कटघोरा स्थित परिवर्तित भूमि खसरा नंबर 263/12 रकबा 0.809 हे. को भूमिस्वामी सावनलाल पिता सुरितराम द्वारा व्यपवर्तन हेतु आवेदन दिया गया और पास मुद्रांक पंजीयन शुल्क एवं भूमि विकय की अनुमति से बचने के लिये जानबूझकर व्यपवर्तन प्रकरण के लंबन काल में ही कृषि भूमि के रूप में केता आर्यन कोल बेनिफिकेशन द्वारा विष्णु प्रसाद कुर्मी निवासी कसईपाली, चाकाबुडा के पास विकय किये जाने के संबंध में कलेक्टर महो0 कोरबा के माध्यम से शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मामले का परीक्षण किया गया। इस न्यायालय के रा0प्र0क0 41/अ–2/2004–05 सा0 कसईपाली सावनलाल पिता सुरितराम, कुर्मी बनाम शासन में पारित आदेश दिनांक 21.03.2005 अनुसार भूमिस्वामी सावनलाल पिता सुरितराम के आवेदन के आधार पर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किया गया है। तब इस पर कलेक्टर कोरबा द्वारा पुनर्विलोकन अनुमति प्राप्त होने पर प्रारंभ मामला इस न्यायालय में प्रारंभ किया गया।

भूमिस्वामी सूचना पत्र तामिली बाद अनुपस्थित। केता आर्यन कोल बेनिफिकेशन द्वारा विष्णु प्रसाद कुर्मी उपस्थित उन्होंने लिखित में जवाब प्रस्तुत किया। केता द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उसने शासन के नियमों का उलंघन नहीं किया है। तथा व्यपवर्तन आदेश की जानकारी भूमि कय करने के बाद हुई। हल्का पटवारी के निर्देशानुसार विधिवत डायवर्सन लगान जमा किया जा रहा है। उक्त भूमि पर करोड़ों रूपये खर्च कर कोल वाशरी एवं पावर प्लांट की स्थापना की गई तथा विस्तार कार्य जारी है। जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है जिससे अधिकतम आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के हैं। संस्थान को प्रारंभ हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। इतनी अवधि बीत जाने पर व्यपवर्तन प्रकरण का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता (गौतम कुमार वि0 म.प्र. शासन में से 1997–224) संस्थान पर स्थापित वाशरी में अधिकतम रिजेक्ट कोयला की धुलाई की जाती है तथा संस्थान द्वारा निर्माणाधीन पावर प्लांट कोल रिजेक्ट (औद्योगिक कचरा) के बिजली बनाने का क्षेत्र है। जिसके लिये भूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता नहीं होती(राज्य शासन की अधिसूचना कमांक 38/स/उ.वि.

114/2006-07
TRUE-COPY
TAHSILDAR
Katghora

..2..

/02–03 दिनांक 29.1.2003, 4.2.2003 से यह स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों का विचारण कर आदेश परित किया जाना उचित होगा।

प्रकरण तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकम किया। भूमिस्वामी सावनलाल पिता सुरितराम.के आवेदन दिनांक 17.03.2004 के आधार पर इस न्यायालय के रा0प्र0क0 41/अ–2/2004–05 सा0 कसईपाली सावनलाल पिता सुरितराम बनाम शासन में पारित आदेश दिनांक 21.03.2005 अनुसार वाद भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित किया गया है। किन्तु डायवर्सन प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होने के पूर्व प्रकरण के लंबन काल में ही उक्त भूमि को कृषि भूमि के रूप में केता आर्यन कोल बेनिफिकेशन द्वारा विष्णुप्रसाद कुर्मी के पक्ष में विकय पत्र निष्पादित किया गया है। तथा इस भूमि पर कोलवासरी स्थापित है। तत्समय छ0ग0भू0रा0सं0 1959 की धारा 165(6–ड.–ड.) के अनुसार ''उपधारा (6) के अधीन घोषित किसी आदिम जनजाति के भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आदिम जनजाति का न हो, अन्तरित की गई कृषि भूमि ऐसे अन्तरण की तारीख से दस वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित नहीं की जायेगी,''का प्रावधान है। मौजूदा प्रकरण में उक्त प्रावधान से बचने के लिये तथा भूमि विकय की अनुमति से बचने के लिये डायवर्सन प्रकरण के लंबन काल के दौरान कृषि भूमि के रूप में उक्त भूमि का विकय किया गया है। इससे भूमि अन्तरण में शासन को मुद्रांक शुल्क की क्षति पहुंचाई गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राजपत्र कमांक 731/21–अ/प्रारूपण/06 रायपुर दिनांक 25 जनवरी 2006 अनुसार धारा 165(6–ड.–ड.) लोप किया जा चुका है। अतः उप पंजीयक कटघोरा उक्त भूमि अन्तरण किये जाने से पंजीयन शुल्क/मुद्रांक शुल्क को हानि हुई है, उसे गणना कर नियमानुसार पेनाल्टी सहित शुल्क की वसूली करें। तत्पश्चात् अधीक्षक भू–अभिलेख परिवर्तित भूमि कोरबा केता के नाम पर नियमानुसार नामान्तरण की पुष्टि करें।

आज दिनांक 03.04. 2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में पारित एवं घोषित किया

अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा जि. कोरबा (छत्तीसगढ़)

(एम.एल.घृतलहरे)
अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
कटघोरा (छत्तीसगढ़)

पृष्ठांकन कमांक/ /वाचक–1/2006 कटघोरा, दिनांक :

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक भू–अभिलेख परिवर्तित भूमि कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
2. उप पंजीयक कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एम.एल.घृतलहरे)
अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
कटघोरा (छ.ग.)

COURT FEE FOR COPYING FEES ONLY दो रुपये TWO RUPEES CANCELLED

114/2006-07
TRUE-COPY
TAHSILDAR
Katghora